(xv) मैसर्स सीसीसीएमई ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके विचाराधीन उत्पाद, जिनका उत्पादन डीटीए यूनिटों द्वारा किया जाता है, इन यूनिटों द्वारा उत्पादित वस्तु से प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते।

(xvi) याचिकाकर्ताओं का सामूहिक उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है और इस प्रकार, कुल भारतीय उत्पादन में उनका प्रमुख अनुपात है तथा इसीलिए भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग हैं।

(xvii) मूल जांच में महानिदेशक ने यह माना कि एसईजेड में स्थित उत्पादकों को घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता। महानिदेशक को निम्नलिखित कारणों से एसईजेड यूनिट को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में न मानने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए:

क. धारा 53 में यह अधिदेशित है कि एसईजेड पर सीमित प्रयोजन अर्थात प्राधिकृत प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर होने पर विचार किया जाएगा। यद्यपि कोई एसईजेड भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर होने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान की गई सीमा तक भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है, तथापि वह भारत के सीमा क्षेत्र का पूरी तरह से अभिन्न अंग है और कानून तथा विनियमों के अध्यधीन है।

ख. यह पाया जाता है कि एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत "आयात" का अर्थ भारत से बाहर के स्थान के एसईजेड यूनिट द्वारा सामान अथवा सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं जबकि "निर्यात" का अर्थ डीटीए से किसी एसईजेड यूनिट को सामानों की आपूर्ति करने से है। एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरी पर भारत में "आयात" तथा एसईजेड से "निर्यात" नहीं माना जाता है।

ग. यद्यपि एसईजेड से डीटीए में हटाए गए सामान पर उस समय ऐसे सामानों पर लगाए जाने योग्य सीमा शुल्क में लगाए जाते हैं जब धारा 30 के मद्देनजर भारत में आयात किए जाएं, तथापि यह नोट किया जाए कि भारतीय निर्यातों में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माने गए अनुसार उसे "आयात" नहीं माना जाता है।

घ. एसईजेड से डीटीए में सामानों की मंजूरियों को भी "निर्यात" नहीं माना जाता है। इसकी अपेक्षा डीटीए की एसईजेड यूनिटों में बिक्री को शुल्क वापसी, डीईपीबी लाभ आदि जैसे वास्तविक निर्यातों के मामलों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट/विकासकर्ता को लाभ उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत निर्यात माना जाना होता है। तथापि, दो अन्य देयताएं निर्यात शुल्क लगाए जाने जैसी भारत से बाहर के क्षेत्र को डीटीए से वास्तविक निर्यात करने से प्रभावित नहीं होती है, वे नहीं लगती हैं।

ङ. एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार दी गई विशेष छूटों तथा निष्कासनों को छोड़कर, एसईजेड द्वारा डीटीए बिक्रियां डीटीए में उत्पादित सामानों पर लगाए जाने वाले उन्हीं शुल्कों के अध्यधीन हैं, जैसे आयातों के मामले में असमान केंद्रीय बिक्री कर। अतः एसईजेड में स्थित यूनिटों को भारत से बाहर स्थित नहीं माना जा सकता और वे निरंतर भारत के अभिन्न अंग हैं। महानिदेशक से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार एसईजेड यूनिटों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि वह भारत में किसी भी अन्य यूनिट को उपलब्ध है।

च. एसईजेड से डीटीए को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा, जैसा कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 8ख(2क) और धारा 30 को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 9क, प्रतिकारी शुल्क के संबंध में धारा 9 और रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित धारा 8ख किसी अनिश्चित शर्त का उल्लेख नहीं करते कि वे भारत में वस्तु के आयातों पर लागू हैं।

ज. यदि कोई वस्तु भारत में आयात नहीं की जाती तो उपर्युक्त कोई भी शुल्क देय नहीं है। इस संबंध में, यद्यपि मान्य प्रावधान द्वारा एक कानूनी धारणा बनाई जाती है जिससे एसईजेड को भारत के सीमा

शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाए तो भारत में किसी भी विद्यमान कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसईजेड में विनिर्मित सामान आयात के रूप में डीटीए को मंजूरी की मान्यता देता हो।

झ. एसईजेड में विनिर्मित सामान डीटीए को मंजूरी भारत के क्षेत्र में आयात नहीं बनता जो कि एस्सार स्टील बनाम भारत संघ [2010 जीएलएच (1) 52], इंडिया एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य [(2012) 47 वीएसटी 126], श्री डी. वी. सराधी प्रबंधक-प्रशासन के प्रतिनिधित्व में तिरूपति उद्योग लिमिटेड बनाम भारत संघ (यूओआई), सचिव, वित्त मंत्रालय एवं अन्य के माध्यम से [2011 (272) ईएलटी 209(ए.पी.)] सहित कई निर्णयों में भी दोहराया गया है।

ञ. आयात की वस्तुस्थिति के बिना, कोई पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, रक्षोपाय शुल्क नहीं हो सकता।

ट. धारा 30 में उल्लिखित डीटीए मंजूरी के दौरान पाटनरोधी शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के उल्लेख का अर्थ यह है कि परिष्कृत उत्पाद पर प्रयुक्त इनपुट (उस स्थिति में जब विशिष्ट देशों से आयातित इनपुट पर पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क लगता हो) के मूल्य पर देय शुल्क है न कि परिष्कृत उत्पाद पर ही।

ठ. यही सिद्धांत किसी उस समान वस्तु के विरुद्ध उठाए गए रक्षोपाय शुल्कों पर भी लागू है जिसका विनिर्माण एसईजेड में किया जाता है और डीटीए में मंजूर किया जाता है। यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2क) के लिए भी सिद्ध है।

ड. डीटीए की धारा 8ख(2क) के साथ पठित एसईजेड अधिनियम की धारा 30 इसे स्पष्ट करती है कि रक्षोपाय शुल्क परिष्कृत उत्पादों में प्रयुक्त इनपुट पर ही देय होता है न कि एसईजेड में विनिर्मित परिष्कृत उत्पाद पर और डीटीए में मंजूर किया जाता है।

ढ. एसईजेड यूनिटों को समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में माने जाने अथवा घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माने जाने से नहीं रोका जा सकता। रक्षोपाय कानून के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप-धारा (6) के खंड (ख) घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है।

ण. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 22.05.2014 के अंतिम जांच परिणाम में मलेशिया, चीन जन. गण., चीनी तैपई और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेल, चाहे आंशिक रूप से असेंबल किए गए हों अथवा पूर्णतः मॉड्यूलों या पैनलों में अथवा ग्लास पर अथवा कुछ अन्य उपयुक्त उपकरणों पर असेंबल किए गए हों अथवा न किए गए हों, के आयातों पर पूर्व पाटनरोधी जांच में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के भाग के रूप में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिट पर विचार किया है। इस प्रकार, जहां तक पाटनरोधी प्रक्रियाओं का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने वाली यूनिटों को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क, दोनों के तहत समान वस्तु का घरेलू उद्योग माना जाता है।

त. रक्षोपाय कानून तथा पाटनरोधी कानून, दोनों में प्रावधान यह निर्धारित नहीं करते कि केवल डीटीए में स्थित समान वस्तु के उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में माना जाएगा अथवा उस मामले में एसईजेड में उत्पादित समान वस्तु तथा घरेलू खपत के लिए डीटीए में मंजूर की गई समान वस्तु को समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के रूप में नहीं माना जाना होता है। एसईजेड में समान वस्तु के उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना जाना अपेक्षित होता है क्योंकि एसईजेड में स्थित समान वस्तु के उत्पादक किसी सीमा से अथवा भारत के घरेलू बाजार में बिक्री करने में कोई बाधा नहीं होती।

थ. एसईजेड द्वारा सामानों की डीटीए मंजूरी आयात किए जाने पर उन पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के भुगतान के लिए देय होते हैं। तथापि, पूर्व पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में नोट किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद, जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की सीमा प्रशुल्क मद 85414011 में आता है, भारत का आयात प्रशुल्क "निःशुल्क" है और इसीलिए उसका विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरी पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। एसईजेड यूनिटों का भी सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा ("एनएसई") बनाए रखने का दायित्व है जो नियम 53 के तहत

निर्धारित परिकलन के सिद्धांत के मद्देनजर उनके द्वारा उत्पादित सामानों के निर्यात के लिए एसईजेड यूनिटों पर और दायित्व लगाता है।

द. इस प्रकार, बिक्री की मात्रा के संबंध में एक सीमा है जो घरेलू बाजार में खपत के लिए डीटीए में एसईजेड यूनिट द्वारा की जा सकती है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए मंजूरियां भी एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 53(क)(1) के मद्देनजर सकारात्मक एनएसई को पूरा करने के प्रति मानी जाती हैं। एसईजेड में आधारित विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों पर सकारात्मक एनएसई बनाए रखने के प्रयोजन के लिए सामानों का निर्यात करने की कोई मजबूरी नहीं है और न ही उसे डीटीए में देखने के लिए कोई प्रतिबंध अथवा सीमा है क्योंकि सकारात्मक एनएसई डीटीए बिक्री के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्रशुल्क शीर्ष "निःशुल्क" है, अतः एसईजेड से मंजूर विचाराधीन उत्पाद पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं है। यह इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि एसईजेड यूनिटें विचाराधीन उत्पाद के घरेलू बाजार में बिना किसी प्रतिबंध अथवा प्रतिस्पर्द्धा के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहे हैं।

ध. सैचुरेटेड फैट्टी एल्कोहॉल के आयातों के संबंध में, रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी ने मैसर्स वीवीएफ लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू को घरेलू उद्योग माना था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 100 प्रतिशत ईओयू को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल करने के लिए नियमित रूप से पात्र भी माना है। उदाहरण के लिए, 100 प्रतिशत ईओयू को (क) चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड से डीपीपी रेड 254, (ख) चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड से विटामिन-ए पामीटेट के संबंध में पाटनरोधी जांचों में घरेलू उद्योग का भाग होना माना गया है।

न. यह नोट किया जाता है कि एसईजेड के समान 100 प्रतिशत ईओयू को भी एफटीपी 2015-20 के पैरा 9.16 (जो एफटीपी 2009-14 के समान हैं) के अनुसार डीटीए के बाहर माना जाता है। 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड, दोनों समान रूप से स्थित हैं क्योंकि उन्हें डीटीए में नहीं माना जाता है तथा डीटीए में उनकी बिक्री सकारात्मक एनएसई बनाए रखने पर आकस्मिक है। अतः जो परीक्षण घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए 100 प्रतिशत ईओयू की पात्रता मापने के लिए लागू हैं, वे एसईजेड यूनिटों की पात्रता का परीक्षण करने के लिए भी लागू होने चाहिए।

प. वर्तमान मामले के तथ्यों में यह देखा जाता है कि चूंकि एसईजेड यूनिटें घरेलू बिक्री के माध्यम से सकारात्मक एनएसई हासिल कर सकती हैं, अतः बिक्री की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा न ही निर्यात के लिए कोई मजबूरी है। डीटीए में समान वस्तु की बिक्री पर कोई प्रतिबंध न होने वाली एसईजेड यूनिटों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ख) के तहत घरेलू उद्योग का भाग माना जाना अपेक्षित है।

फ. अतः महानिदेशक मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड की एसईजेड यूनिट को भारत में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण करने वाले घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानेंगे और वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए उसके आंकड़ों पर विचार करेंगे।

ब. इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर और अनरॉट एल्युमीनियम से संबंधित रक्षोपाय अंतिम जांच परिणाम में एसईजेड यूनिटों को इस कारण घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया था कि एसईजेड यूनिटें निर्यात के प्रयोजन के लिए एसईजेड में स्थापित की गई थीं, प्रश्नगत एसईजेड यूनिट द्वारा मंजूरियां सीमा शुल्क के अध्यधीन थीं और डीटीए से एसईजेड यूनिट को सामानों की आपूर्ति करना निर्यात माना गया था। यह तर्क गलत है और संगत कानूनी प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। यह निर्णय भी अरुचिकर है क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों पर विचार नहीं किया।

(xviii) यह मानते हुए कि एसईजेड यूनिटों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता और यह कि मूल जांच में किए गए निर्णय को अपनाते हुए डीटीए यूनिटों तक ही घरेलू उद्योग का क्षेत्र प्रतिबंधित था,

वे आवेदक डीटीए यूनिटों अर्थात जुपिटर इंटरनेशनल लि. ("जेआईएल") और जुपिटर सोलर पावर लि. ("जेएसपीएल") का घरेलू उत्पादन में (एसईजेड यूनिटों को अलग करने के बाद) प्रमुख अनुपात है।

(xix) उन घरेलू उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्होंने घरेलू उद्योग के रूप में निर्णायक समीक्षा में भाग लेने से मूल जांच में भाग नहीं लिया था। धारा 8ख(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक परिभाषा के अनुसार "घरेलू उद्योग" का अर्थ भारत में समान वस्तु अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप में उत्पादकों से है अथवा जिनका समान वस्तु के सामूहिक उत्पादन अथवा भारत में सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का भारत में उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल वे घरेलू उत्पादक जिन्होंने मूल जांच के दौरान उपाय लगाए जाने के लिए भाग लिया था, निर्णायक समीक्षा में भी घरेलू उद्योग के रूप में लिए जाने हैं।

(xx) हितबद्ध पक्षकार भी यह दर्शाने में असमर्थ हैं कि एसईजेड को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा रखा गया तर्क गलत है और उन्होंने केवल पूर्व अंतिम जांच परिणामों पर विश्वास किया है जिन्हें विशिष्ट किया गया था तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित कानून तथा संविधि की अज्ञानता में अरुचिकर होना दर्शाया गया था। प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं की डीजीटीआर की नियम पुस्तिका पर किया गया विश्वास हितबद्ध पक्षकारों का विरोध करने के लिए कोई सहायक नहीं हो सकता क्योंकि वे माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित इस मुद्दे के संबंध में बाध्यकारी पूर्ण उदाहरणों को नकार नहीं सकते।

(xxi) धारा 8ख में केवल यह उल्लेख है कि जो घरेलू उत्पादक जांच में भाग लें, उनकी समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग माने जाने के लिए उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। यहां तक कि यदि एमएसपीवीएल को घरेलू उद्योग की परिधि में न माना जाए, तो जेआईएल और जेएसपीएल का संयुक्त उत्पादन डीटीए में समान वस्तु के उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

(xxii) संबद्ध सामानों की संस्थापित क्षमता घरेलू उद्योग का आधार निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए असंगत है और केवल संगत मानदंड वास्तविक उत्पादन है।

(xxiii) आयातित सोलर सेलों से उत्पादित सोलर मॉड्यूल भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के प्रयोजन के लिए नहीं माने जा सकते। यहां तक कि घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों से उत्पादित सोलर मॉड्यूल संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का परिकलन करने के लिए नहीं माने जा सकते क्योंकि इससे समान वस्तु के कुल उत्पादन की दोहरी गणना होगी। यह इसलिए है क्योंकि घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों की गणना सोलर सेल विनिर्माताओं द्वारा पहले उत्पादन के समय की जाएगी और उसके बाद घरेलू मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा मॉड्यूलों में व्यवस्थित किए जाने के समय की जाएगी। इससे भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का परिकलन करने के लिए उन सोलर सेलों को दो बार परिकलन करना होगा और इसीलिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

(xxiv) जांच की अवधि के दौरान जुपिटर इंटरनेशनल लि. की एकल क्षमता, उत्पादन, बिक्री के संबंध में, उसका उत्पादन शुरू होने की तारीख, जुपिटर सोलर पावर लि. और जुपिटर इंटरनेशनल लि. के बीच संबंध की वास्तविक स्वीकृति और इन दो कंपनियों के बीच संबद्ध सामानों की बिक्री और/अथवा खरीद लेन-देन के संबंध में सूचना एलडी को दी गई है, महानिदेशक रक्षोपाय को याचिका में तथा जुपिटर सोलर पावर लि. और जुपिटर इंटरनेशनल लि. द्वारा दायर घरेलू उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर के गोपनीय रुपांतर में दी गई है।

(xxv) डीजीटीआर की व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाटियों की नियम पुस्तिका में पैरा 17.12 में यह उल्लेख है कि जब तक आवेदकों का निर्णायक समीक्षा जांच में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, आवेदकों का मूल जांच में वही होना आवश्यक नहीं है।

(xxvi) धारा 8ख में यह प्रावधान नहीं है कि रक्षोपायों के द्वारा संरक्षण की मांग करने वाले घरेलू उत्पादकों का प्रमुख हिस्से के रूप में माने जा सकने से पूर्व न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। इसकी अपेक्षा संविधि में यह निर्धारित है कि उनका भारत में उपर्युक्त वस्तु के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा होना चाहिए।

(xxvii) इस मुद्दे के संबंध में कि "प्रमुख हिस्सा" क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कतिपय ऑटोमोबाइल पर चीन – पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क के मामले में विवाद निपटान समझ के तहत गठित डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के समक्ष आया जिसमें यह माना गया था कि आवेदकों का घरेलू उद्योग माने जाने के लिए घरेलू उत्पादन में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण, गंभीर और काफी हिस्सा होना चाहिए।

(xxviii) डब्ल्यूटीओ पैनल की उपर्युक्त टिप्पणियों में सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलुरू बनाम जी. एम. एक्सपोर्ट्स [(2016) 1 एससीसी 91] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर निर्णायक मार्गदर्शन का प्रावधान है जिसमें उन वीडियो का अभिप्राय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उल्लिखित हैं, जो रक्षोपाय करार की प्रकृति में बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षरकर्ता होने के परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसरण में अधिनियमित किए गए हैं।

(xxix) सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6) में प्रयुक्त भाषा जो डब्ल्यूटीओ के तहत भारत के दायित्वों को शामिल करने वाली भारतीय विधि में घरेलू उद्योग का परिभाषा खंड है, भी प्रमुख हिस्से की अपेक्षा "द" प्रमुख हिस्से की अपेक्षा "एक" प्रमुख हिस्सा उल्लिखित करती है जो उनके घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पात्र होने से पूर्व कुल घरेलू उत्पादन में न्यूनतम 50 प्रतिशत तक घरेलू उत्पादकों को प्रतिबंधित न करने के कानून का आशय स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है।

(xxx) वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए माने गए डीटीए में याचिकाकर्ताओं के घरेलू उत्पादन में हिस्से के संबंध में प्रतिवादी अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि उनका वर्तमान समीक्षा में मानी गई जांच की अवधि की दौरान कुल घरेलू उत्पादन में 30-35 प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं था और सबसे हाल की अवधि के दौरान 55-60 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

(xxxi) डीटीए में आधारित वर्तमान याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक विद्यमान रहे हैं और उन्होंने बढ़े हुए आयात के विध्वंस को देखा है जिससे गंभीर क्षति हुई है और वे आपातकालीन उपायों का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए। अतः आवेदक, चाहे एसईजेड यूनिटें सहित हों अथवा उनसे अलग हों, को समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने योग्य हैं क्योंकि उनके लिए परिकलित उत्पादन की प्रतिशतता इन उत्पादन के महत्वपूर्ण, गंभीर अथवा पर्याप्त अनुपात के रूप में योग्य बनने के लिए पर्याप्त रूप से अधिक है।

(xxxii) जेआईएल केवल वृद्धिकारक कार्य नहीं करता बल्कि उसने जांच की अवधि के दौरान सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन किया है। उसने कार्य आधार पर जेएसपीएल के माध्यम से सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन भी किया है। अतः जेआईएल के क्रियाकलाप केवल वृद्धिकारक कार्य नहीं हैं।

(xxxiii) आयातों में वृद्धि निर्धारित समीक्षा में एक अपेक्षा नहीं है। यह तथ्य कि नियम 5, 6, 7 और 11 संशोधित रूप में किसी निर्णायक समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं, समीक्षा के प्रयोजन के संदर्भ में देखा जाना है जो कि रक्षोपाय नियमावली के नियम 18 तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(4) दोनों में उल्लिखित है। **रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 7.2 के अनुसार,** अनुच्छेद 2, 3, 4 और 5 में निर्धारित समीक्षा करने के लिए प्रक्रिया ही लागू होगी। इन प्रावधानों में प्रक्रियागत पहलुओं के अलावा, आरंभिक तौर पर शुल्क लगाए जाने के लिए आयातों में वृद्धि की आवश्यकता लागू नहीं होती। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने *संत गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, वित्त मंत्रालय और अन्य* के मामले में माना है कि भारत जिस करार पर हस्ताक्षर करता है और जिसके अनुसरण में इस संबंध में नगर पालिका कानून में लागू किया गया है तथा कानून का प्रयोजन भारतीय कानून का निर्वचन करते समय मार्गदर्शी दल होना चाहिए।

(xxxiv) प्रश्नगत उपाय 30 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ। उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उपाय लगाए जाने के पूर्व विद्यमान स्थिति के साथ उसकी तुलना की जानी है। उपाय लगाए जाने के पूर्व और उसके बाद के बीच सक्षम तुलना के प्रयोजन के लिए ही 2016-17 और 2017-18 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

(xxxv) घरेलू उद्योग ने अक्तूबर, 2019 से फरवरी, 2020 के महीनों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े भी प्राप्त किए हैं और 3 जुलाई, 2020 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा दायर लिखित अनुरोधों में अगोपनीय सार भी दिया गया है तथा हितबद्ध पक्षकारों को उन पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

(xxxvi) शुल्क 30 जुलाई, 2018 से लागू किए गए थे। शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप, आयात मात्रा 2018-19 के दौरान 8,010 मेगावाट तक कम हो गई। परंतु आयातों में यह गिरावट बहुत कम समय तक रही क्योंकि आयातों ने पुनः बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है।

(xxxvii) यह मानते हुए कि आयातों में वृद्धि आवश्यक है, 2018-19 और 2019-20 के 3 तद्नुरूपी तिमाहियों की जांच से यह देखा जा सकता है कि आयातों पर 2019-20 में प्रभाव पड़ा। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पूर्व के स्तरों पर वापस नहीं गई और अब भी भारत में बढ़े हुए स्तरों पर आ रही है।

(xxxviii) यह नोट करना व्यावहारिक है कि यद्यपि आयातों की मात्रा 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुसरण में अनुभव की गई मात्रा में थोड़ी सी गिरावट को छोड़कर बढ़ी है, तथापि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें निरंतर गिरावट पर रही हैं। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पूर्व के स्तरों पर वापस नहीं गई है और अब भी भारत में बढ़े हुए स्तरों पर आ रही है।

(xxxix) रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के उत्तर में, आयात कीमतें और नीचे गई हैं जिनसे रक्षोपाय शुल्क का अपेक्षित प्रभाव कम हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयातों की मात्रा इस तथ्य के साथ कि रक्षोपाय शुल्क 01.08.2019 से 20 प्रतिशत तक और 02.01.2020 से 15 प्रतिशत तक कम किया गया था, 2019-20 में आयात कीमतों में तेज गिरावट के साथ बढ़ी है। आयात कीमतें माह दर माह आधार पर प्रमुख रूप से कम हुई हैं। अप्रैल, 2018 और फरवरी, 2020 के बीच सेल की आयात कीमतों में 50 प्रतिशत तक और मॉड्यूल में 30 प्रतिशत तक गिरावट आई।

(xl) यद्यपि चीन जन. गण. से आयात मात्रा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद कम हुई, तथापि वह भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा।

(xli) यूरोपीय संघ के 03 सितंबर, 2018 से चीन के विरुद्ध सोलर सेलों और मॉड्यूलों पर पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क वापस लिए जाने के बाद चीन से यूरोपीय संघ को निर्यात 2017 में 5.36 प्रतिशत से बढ़कर 2019 (1एच) में 25.7 प्रतिशत तक हो गए और चीन जन. गण. के निर्यातों में भारत का हिस्सा आनुपातिक रूप से 29.6 प्रतिशत से घटकर 7.3 प्रतिशत हो गया जो भारत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुरूप है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यूरोपीय संघ द्वारा शुल्क समाप्त किए जाने से यहां चीन से निर्यातों में वृद्धि हुई है जबकि भारत वाला शुल्क लगाए जाने से वहां चीन जन. गण. से निर्यातों में कमी हुई है। यदि चीन से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क हटाया जाता है तो चीन भारत को बढ़ी हुई मात्रा में सामानों का पुनः निर्यात शुरू कर देगा। अतः हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि चीन के लिए भारत को उसके निर्यात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सहज ज्ञान विरोधी है।

(xlii) थाइलैंड और वियतनाम को चीन से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात भारत द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद बढ़े हैं जो कि वर्तमान में लागू हैं। उसके बाद थाइलैंड और वियतनाम से भारत को विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तद्नुरूपी वृद्धि देखी गई है।

(xliii) अब थाइलैंड और वियतनाम से आयात हाल की अवधि अर्थात 2019-20 (अप्रैल-सितंबर) में भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में क्रमशः लगभग 12.46 प्रतिशत तथा 11.7 प्रतिशत है, जबकि 2017-18 में कुल आयात अधिक होने के बावजूद रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व वे केवल 0.26 प्रतिशत एवं 0.70 प्रतिशत थे। रक्षोपाय शुल्क लगाना थाइलैंड और वियतनाम के लिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि उन्होंने विकासशील देशों के लिए 3 प्रतिशत की शुरूआती अपेक्षा से अधिक बढ़ाया है।

(xliv) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय किसी विकासशील देश सदस्य के मूल के उत्पाद के विरुद्ध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक आयातक सदस्य ने संबंधित उत्पाद के आयात पर उसका

हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता। "जब तक" पदबंध का प्रयोग रक्षोपाय के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध सिद्ध करता है, उस समय तक लागू होगा जब तक आयात मात्रा 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर में रहती है। न्यूनतम स्तर के पार होने पर रक्षोपाय के लिए आवेदन करने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

(xlv) फिनोल पर रक्षोपाय के 11 दिसंबर, 2001 की समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम द्वारा मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में उपाय के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था, यद्यपि इन देशों को मूल उपाय के समय शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, एसीटोन के आयात पर रक्षोपाय शुल्क की समीक्षा में 4 फरवरी, 2002 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर को समीक्षा के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क के क्षेत्र में शामिल किया गया था। यद्यपि उन्हें मूल रूप से शुल्क लगाए जाने के समय उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।

(xlvi) इस्पात उत्पाद के संबंध में यूरोपीय संघ द्वारा की गई रक्षोपायों की समीक्षा में जिन विकासशील देशों को मूल रूप से शुल्क लगाए जाने के क्षेत्राधिकार से अलग किया गया था, उन्हें इस उपाय की समीक्षा के अनुसरण में उसकी परिधि में शामिल किया गया था। यूरोपीय संघ द्वारा दूसरी समीक्षा जांच भी की गई थी और जिन विकासशील देशों को पहली समीक्षा के अनुसरण में अलग किया गया था, उन्हें उसकी परिधि में शामिल किया गया था। अतः अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने भी उस समीक्षा के अनुसरण में विकासशील देशों पर रक्षोपाय बढ़ा दिए हैं जब ये देश में समीक्षा की हाल की अवधि में न्यूनतम स्तर से अधिक हुए हैं।

(xlvii) यह निर्धारण कि क्या विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में इंडोनेशिया का हिस्सा सबसे हाल की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि वह न्यूनतम है तो क्या उसे अलग किया जा सकता है।

(xlviii) मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में दिए गए अनुसार कुल मात्रा की तुलना की है जो मापन की विभिन्न यूनिटों का योग है। इन सभी यूनिटों का कुल योग आयातों की मात्रा का कोई सार्थक संकेत नहीं दे सकता। मापन की विभिन्न यूनिटों को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एक यूनिट में परिवर्तित किया जाना चाहिए। संबंधित उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट वाट है जिसका प्रयोग प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में भी किया गया है। वाट के परिवर्तन पर थाइलैंड से आयात सबसे हाल की अवधि के दौरान 12.46 प्रतिशत है।

(xlix) समीक्षा का प्रयोजन यह मूल्यांकन करना है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति रोकने अथवा गंभीर क्षति का उपाय करने के लिए रक्षोपाय अपेक्षित है। अतः यदि आयातों की मात्रा उन अन्य विकसित देशों से बढ़ी है जिन्हें मूल जांच के अनुसरण में उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं रोकी जा सकती अथवा उसका उपचार नहीं किया जा सकता, यदि जो विकसित देश 3 प्रतिशत की शुरूआत से आगे बढ़ गए हैं, उन्हें उस उपाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, उसे जारी रखा जा रहा है।

(l) आर्थिक मानदंडों अर्थात उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा तथा समायोजन योजना, जो कि नियम 7 के अनुरूप व्यापार संवेदी तथा गोपनीय है, जैसे आर्थिक मानदंडों के आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। सूचना की उपयुक्त समझ सुकर बनाने के लिए उसके स्थान पर पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किया गया है, केवल जहां सूचना सार के लिए उपयुक्त नहीं थी, वहां पूर्ण गोपनीयता का दावा किया गया है। घरेलू उद्योग ने 6 सितंबर, 1997 की व्यापार सूचना एसजी/टीएन/1/97 की अपेक्षाओं को पूरा किया है और संगत आर्थिक मानदंडों के संबंध में सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने 6 सितंबर, 1997 की व्यापार सूचना एसजी/टीएन/1/97 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार गोपनीय रुपांतर में अपने आर्थिक मानदंडों के संबंध में भी पूरी सूचना दी है।

(li) यद्यपि 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10 रक्षोपाय प्रक्रिया पर लागू नहीं है, तथापि याचिकाकर्ताओं ने उसमें दी गई गोपनीयता का दावा करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा किया है।

(lii) जेआईएल और जेएसपीएल संबद्ध कंपनियां हैं क्योंकि जेएसपीएल, जेआईएल की एक सहायक कंपनी है। अतः यह कहा जा सकता है कि दो कंपनी समूह हैं जिन्होंने वर्तमान आवेदन पत्र दायर किया है, यथा जुपिटर और एमएसपीवीएल। अतः यदि यह मानते हुए व्यापार सूचना के अनुसार वास्तविक सूचना प्रकट की जाती है कि

दो से अधिक घरेलू उत्पादक हैं तो फिर इससे अन्य आवेदक समूह कंपनी को गोपनीय सूचना प्रकट होगी। परिणामस्वरूप, गोपनीयता का प्रयोजन बेकार हो जाएगा। जेआईएल और जेएसपीएल के लिए संयुक्त आंकड़े घरेलू उद्योग की याचिका में उस भाग में दिए गए हैं, जिसमें डीटीए में वर्णित उद्योग का निष्पादन दिया गया है।

(liii) याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र के भाग 5 में क्षति संबंधी मानदंडों से संबंधित सभी सूचीबद्ध आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

(liv) इसके अतिरिक्त, जेएसपीएल और जेआईएल की संयुक्त स्थापित क्षमता इस कारण उनकी अलग-अलग संस्थापित क्षमताओं के बिना दी गई है कि जेएसपीएल ने कार्य आधार पर सबसे हाल की अवधि के दौरान जेआईएल के लिए विचाराधीन उत्पाद उत्पादित किया है और इसीलिए उनकी संयुक्त क्षमता उनकी अलग-अलग क्षमताओं के बिना संगत बन जाती है।

(lv) हितबद्ध पक्षकारों पर अपने आप डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त करने और उन आंकड़ों के संबंध में अनुरोध करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आंकड़े मौखिक सुनवाई से केवल दो दिन पूर्व प्राप्त किए गए थे और सुनवाई से एक दिन पहले छांटे गए थे। अतः अगोपनीय सार बताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों का सार घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोधों में बता दिया गया है। घरेलू उद्योग सार्वजनिक फाइल में कच्चे तथा छांटे न गए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को बताने से प्रतिबंधित है क्योंकि वे 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10 के अनुसार गोपनीय है। अतः हितबद्ध पक्षकारों को अपने आप छांटे न गए तथा डीजीसीआईएंडएस के कच्चे आंकड़ों को लेना होता है जिसके लिए प्रक्रिया उपर्युक्त व्यापार सूचना में निर्धारित है।

(lvi) वर्तमान जांच में एसईजेड में तीन आवेदक हैं जिनमें एसईजेड में एक है जिसे पूर्व जांच में अलग किया गया था। अतः जैसा कि संधारणा थी कि एसईजेड यूनिट अलग कर दी जाएगी, एसईजेड और डीटीए यूनिटों, दोनों के लिए संयुक्त तथा डीटीए यूनिटों तथा एसईजेड यूनिटों के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं।

(lvii) चूंकि जेएसपीएल ने केवल एक कार्य आधार पर उत्पादन किया है, अतः वास्तविक उत्पादन एवं अन्य संबंधित आंकड़े प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि जेएसपीएल और जेआईएल के वास्तविक आंकड़े उसी आधार पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। ये आंकड़े दर्शाए नहीं गए हैं क्योंकि वे यदि प्रकट किए जाते हैं तो व्यापार संवेदी सूचना और याचिकाकर्ताओं के हितों के पूर्वाग्रही हैं। घरेलू उद्योग द्वारा जांच के पूर्व और बाद में उसके निष्पादन की उपयुक्त समझ की तुलना के लिए वर्ष 2016 से आगे घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों के प्रकृति विश्लेषण के रूप में नियम 7(2) के अनुरूप अगोपनीय सार दिया गया है।

(lviii) न तो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और न ही उसके तहत बनाई गई नियमावली एलडी. महानिदेशक रक्षोपाय पर यह विश्लेषण करने का दायित्व लगाती है कि क्या बढ़े हुए आयात समीक्षा जांच में अप्रत्याशित विकासों के परिणाम थे। चूंकि अप्रत्याशित विकास और दायित्वों का प्रभाव पहले ही कारणों के रूप में निर्धारित किए गए थे, जिनसे आयातों में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप जिनसे रक्षोपाय लगाना आवश्यक हो गया, यह अपेक्षित नहीं है कि उन्हीं अप्रत्याशित विकास तथा दायित्वों के प्रभावों, जिनसे आयातों में वृद्धि हुई, की समीक्षा में पुनः जांच की जाए, न ही उपाय लगाए जाने के बाद, परंतु उसकी समीक्षा के पूर्व, मध्यवर्ती अवधि में आयातों में वृद्धि होने के लिए अप्रत्याशित विकास और दायित्वों के प्रभाव (जो उनके समान नहीं हैं जिन्हें मूल उपाय के दौरान मापा गया था) के लिए संभव नहीं है। मूल जांच के दौरान, महानिदेशक ने निर्धारित किया कि आयातों में वृद्धि भारत में समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु के घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के लिए सीधे ही उत्तरदायी थी।

(lix) यदि घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिस्पर्धी को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं तो यह मापने के लिए पैमाने है कि क्या रक्षोपाय शुल्क जारी रखा जाना चाहिए अथवा इस मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में इस सीमा तक सुधार हुआ है कि आयात प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए जारी रहने के बावजूद उसे बार-बार होने वाली गंभीर क्षति का कोई खतरा नहीं है।

(lx) प्रमुख महत्व की बात यह है कि क्या विचाराधीन उत्पाद काफी मात्रा में अब भी आयात किया जा रहा है, क्या इतनी बड़ी मात्रा से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, क्या घरेलू उद्योग में संस्थापित क्षमता विचाराधीन उत्पाद के सतत काफी आयात के कारण बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद घरेलू उद्योग में संस्थापित क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है, क्या घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद बेचने में समर्थ है अथवा क्या आयात आने के कारण उसकी असमर्थता से मालसूची में वृद्धि हुई है।

(lxi) उपाय लगाए जाने से पूर्व की अवधि के संदर्भ में उपाय लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति की तुलना के संदर्भ में ही उपाय लगाए जाने से पूर्व के आंकड़ों पर विचार किया जा रहा है।

(lxii) याचिका का संशोधित वृत्तांत प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कानून में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है तथा दूसरे, याचिकाकर्ताओं के आवेदक में डीटीए यूनिटों के लिए दिये गये विवरणात्मक वृत्तांत में भी डीटीए में आधारित घरेलू उद्योग की यूनिटों के संयुक्त ब्यौरे दिए गए हैं।

(lxiii) एक रेंज के रूप में घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का हिस्सा सभी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया है।

(lxiv) यद्यपि मांग 2016-17 से 2019-20 (क) तक 35 प्रतिशत तक बढ़ी, तथापि आयातों का प्रभावी बाजार हिस्सा बना रहा। घरेलू उद्योग ने भी उसी अवधि में आंशिक रूप से *** प्रतिशत तक बाजार हिस्सा प्राप्त किया जो यह सिद्ध करता है कि वह सकारात्मक दिशा में बाजार में समायोजन कर रहा है। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा आधा हुआ है जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप से अब भी गंभीर क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वास्तविक वृद्धि केवल *** प्रतिशत है जो नगण्य है। भारत में सभी घरेलू उत्पादकों का समग्र बाजार हिस्सा 2016-17 में *** प्रतिशत से गिरकर अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 में *** प्रतिशत हो गया।

(lxv) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में रक्षोपाय शुल्कों के संरक्षण के परिणामस्वरूप और उसकी समायोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उत्पादकों की समग्र स्थिति टूटने की स्थिति में है क्योंकि डीटीए में स्थित अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री तेजी से कम हुई है।

(lxvi) क्षमता उपयोग में सुधार उपाय लगाए जाने का और घरेलू उद्योग के अपने समायोजन मूल्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी बिक्री लागत कम करने में समर्थ होने के कारण सीधा परिणाम है। तथापि, यह मानते हुए कि रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण पिछले दो वर्षों के लिए लागू रहा है और भारत में विचाराधीन उत्पाद की भारी मांग, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता इन आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण कम उपयोग में रहीं जो कीमतों में कमी कर रहे हैं। घरेलू उद्योग अपने पूरे उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है जिससे मालसूची में वृद्धि हुई है। रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण के बिना आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करेंगे और उसके उत्पाद की बिक्री की क्षमता में बाधा डालेंगे। इससे मालसूची बढ़ेगी तथा उत्पादन सुविधाएं बेकार होंगी और इस दिशा में प्राप्त किए गए लाभ समाप्त हो जाएंगे।

(lxvii) प्रति कर्मचारी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना के अनुसार अपनी दक्षता में सुधार किया है।

(lxviii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2018-19 में अत्यधिक नकारात्मक थी। तथापि, बिक्री लागत में काफी कमी के साथ बढ़े हुए उत्पादन और बिक्री से घरेलू उद्योग 2018-19 में अपनी हानियों को कम करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक रही और उसकी टूटने की स्थिति बनी हुई है।

(lxix) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में कि वर्तमान याचिका में दर्शाई गई लाभप्रदता 2017-18 में मूल जांच में दर्शाई गई लाभप्रदता से भिन्न है, मूल जांच में पांच आवेदक थे, यथा – (i) मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, (ii) मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड, (iii) मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड, (iv) मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, और (v) मैसर्स हेलियोस फोटो वोल्टेक लिमिटेड जबकि वर्तमान जांच में केवल (i) मैसर्स मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, (ii), मैसर्स जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड और (iii) मैसर्स जुपिटर सोलर पावर लिमिटेड। अतः यह स्पष्ट भी है कि लाभप्रदता के मानदंडों सहित निष्पादन मानदंड समान नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदक के लिए 2017-18 के दौरान लाभों की इक्विटी मूल जांच की स्थिति की

तुलना करने पर, जिसने नकारात्मक लाभप्रदता दर्शाई, संगत नहीं है क्योंकि बढ़े हुए आयातों से भी गंभीर क्षति के परिणामस्वरूप लाभप्रदता पर प्रभाव आवेदकों के दोनों सेटों के लिए समान प्रवृत्ति दर्शाता है। यद्यपि मूल जांच में आवेदकों की लाभप्रदता 2016-17 में -22 से तेजी से घटकर 2017-18 में -107 हो गई। तथापि, वर्तमान आवेदकों की लाभप्रदता भी 100 से घटकर 22 हो गई। यद्यपि अब भी मुश्किल से ही लाभप्रद है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े विश्वसनीय हैं क्योंकि बढ़े हुए आयातों के प्रतिकूल प्रभाव की घटना आवेदकों के दोनों सेटों से सह-संबंध बनाती है।

(lxx) यद्यपि मालसूची स्तरों में 2018-19 में सुधार हुआ, तथापि मालसूची स्तर में फिर से पर्याप्त मांग की मौजूदगी के बावजूद सबसे हाल की अवधि में काफी उछाल आया।

(lxxi) अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 के दौरान अत्यधिक सस्ती कीमतों पर विशेष रूप से वियतनाम और थाइलैंड से आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को बेचने की क्षमता प्रभावित हुई है जिससे मालसूची इकट्ठी हो गई।

(lxxii) रक्षोपाय शुल्क शामिल किए बिना आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की कटौती करते रहते हैं। रक्षोपाय शुल्क के बिना घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति भारी मात्रा तक होगी और उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता एवं लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार का सफाया हो जाएगा क्योंकि प्रयोक्ता बढ़ चढ़कर वापस सस्ते आयातों में जाएंगे।

(lxxiii) निर्णायक समीक्षाओं में आयातों की कीमतों की जांच यह मापने के लिए रक्षोपाय शुल्कों के साथ की जाएगी कि क्या यदि रक्षोपाय शुल्क बंद किया जाता है तो क्या कीमत कटौती के कारण बार-बार गंभीर क्षति होने की संभावना है।

(lxxiv) थाइलैंड और वियतनाम से आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं हैं, जिनका अप्रैल, 2019 – सितंबर, 2019 के दौरान भारत में सभी आयातों का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, थाइलैंड और वियतनाम से आयातों का पहुँच मूल्य बहुत कम है। रक्षोपाय शुल्क लगाए बिना भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के काफी भाग से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण एवं ह्रास जारी है, विषय अपनी बिक्री कीमतें तद्नुसार रखनी होती हैं।

(lxxv) कीमत कटौती के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण तथा ह्रास हुआ, जिससे घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों को और कम करना पड़ा।

(lxxvi) इससे यद्यपि कीमत कटौती का मार्जिन कीमत न्यूनीकरण प्रभावों के परिणामस्वरूप कम हुआ, तथापि घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ गईं क्योंकि उसे विचाराधीन उत्पाद की बिक्री अलाभप्रद कीमतों पर करनी पड़ी।

(lxxvii) आवेदकों के पास अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाएं हैं और वे नवीनतम प्रौद्योगिकियों के सोलर सेल उत्पादित करने में सक्षम हैं। कई मामलों में घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों की दक्षता आयातित सोलर सेलों से कहीं अधिक है।

(lxxviii) दक्षता क्षति का कारण नहीं है। घरेलू रूप से उत्पादित सोलर सेलों के लिए बाजार है और घरेलू उत्पादक अपना उत्पादन बेचने में समर्थ हैं। तथापि, घरेलू उत्पादकों को कीमत के संदर्भ में आयातित सामानों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। चूंकि आयात भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमतों पर आ रहे हैं, अतः घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है।

(lxxix) आयातित सामान अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करते रहे। कीमत कटौती की कम प्रतिशतता केवल इस कारण है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करके आयातों से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। घरेलू उत्पादक आयात कीमतों के समान कीमतें रखने के लिए मजबूर हैं। अन्यथा उन्हें ऑर्डर नहीं मिलेंगे।

(lxxx) कम कीमत पर बिक्री आयातों से हुई क्षति की मात्रा के अधिक उपयुक्त मानदंड होंगे तथा घरेलू समान वस्तुओं के लिए लाभप्रद कीमतें वसूल करने से घरेलू उद्योग को रोक रही है।

(lxxxi) रक्षोपाय लगाए जाने के बाद सतत गंभीर क्षति के अन्य कोई ज्ञात कारण नहीं हैं।

(lxxxii) धारा 8ख(4) के अंतर्गत सांविधिक निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति झेलना जारी रखना आवश्यक नहीं है और घरेलू उद्योग के लिए यह दर्शाना पर्याप्त है कि उसने उसको हुई गंभीर क्षति को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं और यह दर्शाने पर कि यह गंभीर क्षति वह होगी।

(lxxxiii) 2016-17 और 2017-18 को इस कारण शामिल किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व और बाद में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण रक्षोपाय लगाए जाने के पूर्व और बाद की उनकी स्थिति को समझना सुकर बनाने के लिए किया जा सकता है।

(lxxxiv) हितबद्ध पक्षकारों को साथ-साथ अनुमोदन करने तथा विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती अर्थात पहला तर्क कि घरेलू उद्योग गंभीर क्षति में सकारात्मक रूप से समायोजन नहीं कर रहा है और उसी स्वर में यह भी तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग को अब कोई क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में मूल जांच के दौरान की स्थिति से सुधार हुआ है। इंडोसोलर सहित 11 घरेलू उत्पादकों से उनकी बंदी के कारण किसी अन्य कारण के बिना गैर-प्रचालनात्मक होने पर इस तथ्य का स्पष्ट साक्ष्य है कि कम कीमत वाले आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति जारी रही है। अतः यह अनुरोध है कि शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के विरोधीभासी अनुरोध स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि आयातों के कारण गंभीर क्षति अब भी मौजूद है और यह कि घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक रूप से समायोजन किया है क्योंकि वह उस गंभीर क्षति की मात्रा को कम करने में सक्षम रहा है जो उसे काफी मात्रा तक मूल जांच के दौरान हो रही थी।

(lxxxv) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की उत्पादन सुविधाओं का मांग-आपूर्ति अंतराल के बावजूद अब भी पूर्णतः उपयोग किया जाना है, इस तथ्य को सिद्ध करता है कि आयात घरेलू बाजार में की गई प्रतिस्पर्धी वस्तु को बेचने से उनकी कीमतों की कटौती पर रोक रहे हैं।

(lxxxvi) इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद घटिया है अथवा उस मामले में उधारदाताओं ने उन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इंकार कर दिया है जो इस कारण घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करने का विचार करते हैं कि घरेलू रूप से उत्पादित सेल घटिया गुणवत्ता के हैं।

(lxxxvii) आवेदक शुल्क लगाए जाने के बाद कुछ निष्पादन मानदंडों में सुधार स्वीकार करते हैं, परंतु घरेलू उद्योग की स्थिति वित्तीय रूप से जोखिम तथा टूटने की स्थिति में बनी हुई है। यद्यपि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा बढ़ा है, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता रक्षोपाय शुल्क आदि लगाए बिना भारत में आ रहे आयातों की काफी मात्रा से सतत कीमत प्रभाव के कारण नकारात्मक बनी हुई है।

(lxxxviii) खड़े एकीकरण, संस्थापित क्षमता में वृद्धि तथा बढ़ते हुए आर्थिक पैमाने का अभाव, घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कारकों के रूप में उल्लिखित किए गए हैं, जो उसकी समायोजन योजना का भाग बनते हैं और इसके ब्यौरे आवेदकों द्वारा दायर घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तर में भी दिए गए हैं।

(lxxxix) जहां तक निविदाओं की मौसमी प्रकृति के कारण कम क्षमता उपयोग से संबंधित आरोप का संबंध है, घरेलू उद्योग ने 2016-17 से 2019-20 तक के अपने आंकड़े दिए हैं जो यह दर्शाते हैं कि बढ़ाई गई समयावधि में भी घरेलू उद्योग की क्षमता का मांग में काफी वृद्धि के बावजूद कम उपयोग रहा है। अतः मौसमी होने के नाते निविदाओं के कारण किसी क्षति का बढ़ाई गई अवधि से विरोधाभास है जिसमें घरेलू उद्योग के निष्पादन को मापा गया है।

(xc) घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले अन्य विभिन्न कारक, जो मैसर्स शपूर्जी पल्लोंजी द्वारा उल्लिखित किए गए हैं, वास्तविक आंकड़े अथवा साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं और केवल अनुमान और कल्पना के आधार पर हैं। ऐसे दावों का आधार सत्यापित करने के लिए न तो उल्लेख और न ही स्रोत प्रदान किया गया है।

(xci) घरेलू उत्पादकों को बाजार स्थिति में समायोजन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। ये परिस्थितियां निरंतर शुल्क लगाने को आवश्यक बनाती हैं ताकि घरेलू उद्योग स्थिरता प्राप्त कर सके और स्वयं को बाजार में स्थापित कर सके।

(xcii) घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों के दबाव को दूर करने के लिए रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण और उससे अपनी समायोजन योजना कार्यान्वित करने में सक्षम होने के लिए लाभप्रदता प्रदान करने की आवश्यकता है।

(xciii) आयात मांग के 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति करते हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

(xciv) अनुच्छेद 5.1 रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के संदर्भ में समायोजन योजनाओं पर विचार करने का दायित्व नहीं लगाता, जैसा कि कोरिया-डेयरी में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट में पाया गया है। रक्षोपाय लगाने का प्रयोजन घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजित होने के लिए पर्याप्त समय देना है और शुल्क लगाए जाने के संरक्षण के लिए पात्र होने हेतु समायोजन योजना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग को दायित्व नहीं देता।

(xcv) इसकी अपेक्षा, शुल्क के प्रगामी उदारीकरण के संबंध में समायोजन का प्रश्न संगत हो जाता है जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा में समायोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित समय की जांच के आधार पर निर्धारित किया जाना होता है।

(xcvi) चूंकि रक्षोपाय शुल्क लगाने की स्थिति घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति रोकना तथा उसका उपचार करने के लिए है, अतः आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक रूप से उद्योग के समायोजन करने का साक्ष्य घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार तथा इस बात की जांच कि क्या मूल जांच के दौरान प्रस्तावित समायोजन योजना का अपेक्षित प्रभाव उपयुक्त मात्रा तक प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में, मूल जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित समायोजन योजना के अपेक्षित प्रभाव से कम कीमत वाले आयातों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिक्री लागतों में कमी हुई थी।

(xcvii) याचिकाकर्ताओं ने कई कदम उठाकर भारत से बाहर के निर्यातकों के साथ लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपनी लागत में कमी करने की योजना बनाई। इन कदमों में (i) यथापेक्षित दीर्घावधि भारी संविदाओं में प्रवेश कर कच्ची सामग्री की लागत कम करने की दृष्टि से कच्ची सामग्री के विद्यमान आपूर्तिकर्ताओं के साथ पुनः वार्ता करना, (ii) आधारभूत कच्ची सामग्री से वेफर्स और इंगट के विनिर्माण के लिए संयंत्र स्थापित कर पिछड़े एकीकरण और मितव्ययिता महसूस करने में सहायता के लिए परियोजनाएं, (iii) जिनके पास केवल सेल बनाने के लिए सुविधाएं हैं, उनके द्वारा मॉड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए सुविधाएं स्थापित कर अग्रवर्ती एकीकरण हेतु परियोजनाएं शुरू करना, (iv) ईआरपी प्रौद्योगिकी अथवा बाइफेसियल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर तकनीकी रूप से बेहतर उत्पादों के लिए जहां भी संभव हो, परियोजनाएं शुरू करना, (v) लगाए गए रक्षोपाय शुल्क की मात्रा के आधार पर क्षमता का उपयोग बढ़ाकर प्राथमिक रूप से परिवर्तन लागत कम करना जिससे बाजार में अपेक्षित परिवर्तन होंगे, (vi) वित्तपोषण लागत कम करना क्योंकि किसी संगत समय में उधार की लागत काफी थी और नियोजित पूंजी पर आय पर उसका काफी प्रभाव था, शामिल हैं।

(xcviii) डेढ़ वर्ष के अंतर्गत, घरेलू उत्पादकों ने ***-*** सेंट/वाट की लागत कटौती हासिल की है। घरेलू उद्योग ने *** सेंट/वाट की भारित औसत लागत कटौती हासिल की। ये आवेदकों की संबंधित घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तरों में ब्यौरे में दर्शाए गए हैं।

(xcix) इसे समायोजन करने वाले घरेलू उद्योग के साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। तथापि, आयातों की कीमतों में सतत गिरावट के कारण वर्तमान समीक्षा आवश्यक हो गई है क्योंकि घरेलू उद्योग को पुनः प्रतिस्पर्धी बनने के लिए और अधिक लागत बचत हासिल करनी है और इस दिशा में एक संशोधित समायोजन योजना दी गई है। जहां तक घरेलू उद्योग के बदले हुए संघटकों का संबंध है, यह अनुरोध है कि संगत मानदंड यह है कि क्या समान तथा सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का घरेलू उद्योग समायोजन कर रहा है। यहां तक कि जिन उत्पादकों ने मूल जांच के दौरान भाग नहीं लिया था, समीक्षा में भाग लेते हैं, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि ये घरेलू उत्पादक जो नए हैं, भी रक्षोपाय शुल्क द्वारा दिए गए संरक्षण के परिणामस्वरूप सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहे हैं।

(c) समायोजन योजना के ब्यौरे प्रकृति में गोपनीय हैं क्योंकि यह व्यापार संवेदी सूचना है और उसका पर्याप्त अगोपनीय सार, जो उठाए जाने के लिए मांग किए गए कदमों की पर्याप्त समझ के लिए अनुमति देता है, आवेदकों के एनसीवी घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तर के अनुबंध 4 में प्रकट किए गए हैं।

(ci) मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड का यह दावा कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने दावा नहीं किया है कि उन्होंने छः कदम वाली समायोजन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, गलत है और रिकार्ड में सामग्री के विरुद्ध है क्योंकि प्रत्येक आवेदक ने अपने संबंधित घरेलू उत्पादकों की प्रश्नावली के उत्तर के अनुबंध 4 में मूल जांच के अनुसरण में सितंबर, 2019 तक प्राप्त कटौती के साथ अपनी संशोधित समायोजन योजना दी है।

(cii) यद्यपि घरेलू उद्योग आयात प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वयं ही सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, तथापि आयात कीमतों में निरंतर तेजी से गिरावट आती रही है जो घरेलू उद्योग को निरंतर गंभीर क्षति पहुँचा रही है। अतः घरेलू उद्योग को बढ़ते हुए आयातों से हुई अपनी टूटती हुई वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए स्वयं को सही स्थिति में लाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।

(ciii) एक संशोधित समायोजन योजना तैयार की गई है और प्रत्येक याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा अपने विशेष तथ्यों और लागत ढांचे को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक को दे दी गई है।

(civ) यह समायोजन योजना मूल जांच के दौरान पूर्व में दी गई योजना के अनुरूप है, परंतु प्राप्त किए जाने के लिए मांग किए गए अन्य उपायों तथा कीमत कटौती में आयात कीमतों में और अधिक गिरावट के मद्देनजर संशोधन किया गया है।

(cv) हितबद्ध पक्षकार यह मानने में विफल रहे हैं कि रक्षोपाय शुल्क की मांग मूल जांच के दौरान 4 वर्षों की अवधि के लिए की गई थी और उन्होंने उपर्युक्त समय सीमा के अनुसार समायोजन योजना प्रस्तुत कर दी थी। अतः यह तथ्य कि संशोधित समायोजन योजना कुल मिलाकर पूर्व समायोजन योजना के अनुसार है, केवल तार्किक है और इन हितबद्ध पक्षकारों के लिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

(cvi) वर्तमान समायोजन योजना ने पर्याप्त लागत कटौतियां स्पष्ट रूप से प्राप्त कर ली हैं जबकि नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने एवं उन्हें अपनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में से कुछ कदम अभी हासिल किए जाने हैं क्योंकि घरेलू उद्योग को उन कीमतों पर आयातों में वृद्धि के कारण हानियां हो रही हैं जो और कम हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, समायोजन योजना के निमित्त कदम जो अतिरिक्त लागत बचत हासिल करने के लिए काफी सीमा तक पहले ही सफल रही हैं, व्यवहार्य योजना है।

(cvii) इस तर्क के संबंध में कि बिक्री लागत में कमी सिलिकॉन वेफर्स की कीमतों में गिरावट के कारण है, बिक्री लागत में गिरावट समायोजन योजना के माध्यम से प्राप्त कम लागत बचतों के परिणामस्वरूप थी। अन्यथा घरेलू उद्योग आयात कीमतों और घरेलू एनएसआर के बीच खाई को कम करने में सक्षम नहीं होता जो मूल जांच के अनुसरण में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के पूर्व थी, यदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कीमतों के लिए निर्धारक कारक केवल कच्ची सामग्री की कीमत थी। यदि कच्ची सामग्री कीमत के लिए एक मात्र निर्धारक कारक था, तो आयातों और एनएसआर के बीच अंतर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व और उसके बाद समान रहता।

(cviii) इंडोसोलर का दिवालियापन इस तथ्य के कारण हो सकता है कि यद्यपि मूल अंतिम जांच परिणाम में महानिदेशक के दिनांक 05.01.2018 के प्राथमिक जांच परिणाम में इस जांच परिणाम पर 70 प्रतिशत अनंतिम रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की गई थी कि सौर ऊर्जा विकासकर्ता अर्थात मैसर्स शपूर्जी पल्लोंजी द्वारा शुरू किए गए विवाद में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए नाजुक परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके परिणामस्वरूप 16.04.2018 तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने पर स्थगन आदेश हुआ। परिणामस्वरूप, अंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश और परिणामस्वरूप शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के बावजूद 2018 की रिट याचिका 12817 में मैसर्स एसीएमई सोलर होल्डिंग द्वारा प्राप्त स्थगन के कारण शुल्क लगाए जाने को प्रभावी नहीं किया जा सकता। जिस याचिका के फलस्वरूप अनुदेश संख्या 12/2018 जारी हुए जिसमें माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक विचाराधीन उत्पाद की मंजूरी के समय रक्षोपाय शुल्क के भुगतान पर जोर न देने का निर्णय लिया गया था। यह स्थगन आदेश अंतिम रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 की एसएलपी (सी) 24009-10 में दिनांक 10.09.2018 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने में लंबे विलंब के कारण रक्षोपाय नियमावली के नियम 9 के तहत महानिदेशक द्वारा पहले ही निर्धारित किए जाने के बावजूद कि महत्वपूर्ण परिस्थितियां विद्यमान थीं जहां अनंतिम शुल्क लगाए जाने में विलंब से क्षति

होगी जिसे 05.01.2018 से ठीक करना कठिन होगा, रक्षोपाय शुल्क एसपीडीए सदस्यों द्वारा विवाद के कारण नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, चूंकि कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क प्राथमिक जांच परिणामों पर स्थगन के कारण नहीं लगाया जा सका, अतः रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने में विलंब का अपरिहार्य परिणाम यह था कि इंडोसोलर को मूल जांच होने तक के दौरान निरंतर क्षति होती रही और उसके बाद भी अपने प्रचालनों को मुक्ति देने में सक्षम होने की स्थिति से और अपनी समायोजन योजना कार्यान्वित करने की स्थिति से बाहर हो गया। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से पूर्व अन्य घरेलू उत्पादकों को भी गंभीर क्षति अततः गंभीर सिद्ध हुई और इसीलिए यही इस तथ्य को बल देता है कि रक्षोपाय शुल्क जारी रखना आवश्यक है। अतः यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि रक्षोपाय शुल्क के उपायों को रद्द करना, जिसे घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक मानदंडों में सुधार से उनकी दक्षता प्रदर्शित की है, घरेलू उद्योग को पुनः क्षति पहुँचाएगा जिससे उभरना कठिन हो जाएगा।

(cix) चूंकि भारत का लक्ष्य पेरिस करार के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के लिए 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का है जिस करार में वर्ष 2022 तक 33-35 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन कम करने की मांग है, घरेलू उद्योग ने विस्तारित हो रही संस्थापित क्षमता में काफी निवेश किया है। तथापि, विद्यमान आयात कीमतों से आयातित विचाराधीन उत्पाद आएंगे जो पूरे गृह बाजार को ले लेंगे तथा इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योग को नष्ट कर देंगे।

(cx) रक्षोपाय शुल्क जारी रखने से मितव्ययिता हासिल कर सतत निवेश, पूंजी व्यय विस्तार और लागत में कमी के लिए एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(cxi) रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना जारी रखना व्यापक सार्वजनिक हित में भी है और रक्षोपाय शुल्क न लगाना भारत के सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा क्योंकि स्थानीय विनिर्माण बंद हो जाएंगे और 11,000 करोड़ रुपये के निवेश का दिवाला निकल जाएगा तथा भारी बेरोजगारी होगी। घरेलू उद्योग पर सतत आयातों के प्रभाव कई घरेलू उत्पादकों की बंदी से स्पर्श गोचर है। भारत सरकार की पहले से ही विद्यमान तिरछी आयात निर्भरता काफी बढ़ना जारी रहेगी क्योंकि भारत चीन का शीर्ष निर्यात लक्ष्य है जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था और चीन से आयात केवल रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी कुछ सीमा तक कम हुए।

(cxii) यह मानते हुए कि घरेलू सेल विनिर्माताओं के सामने उनकी मौजूदगी का आसन्न खतरा है, अतः रक्षोपाय शुल्क जारी न रखने से घरेलू सेल विनिर्माण आधार का पूर्णतः उन्मूलन हो जाएगा और सोलर मॉड्यूल विनिर्माता मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए आयातित सोलर सेलों पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे। मॉड्यूलों में व्यवस्थित सोलर सेलों की पहुँच कीमतों में गिरावट केवल सोलर सेलों की अपेक्षा काफी अधिक रही है। भारत में घरेलू सेल विनिर्माण प्रचालनों को पूर्णतः बंद करने पर मॉडल विनिर्माता निर्यातकों की पूरी दया पर हो जाएंगे जो फिर कीमतें बताने की स्थिति में होंगे और मॉड्यूल विनिर्माताओं को अप्रतिस्पर्धी बनाते हुए सोलर सेलों की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। इसका सोलर मॉड्यूलों जैसे – ईवीए शीट्स और सोलर ग्लास के लिए उपस्करों का विनिर्माण करने में शामिल ऊपरी स्तर के और निचले स्तर के अन्य उद्योगों पर प्रपाती प्रभाव पड़ेगा तथा भारत की सौर उपस्कर विनिर्माण क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करेगा।

(cxiii) जब घरेलू उद्योग रक्षोपाय शुल्क के संरक्षण में सकारात्मक रूप से समायोजन करता रहा है तो घरेलू उद्योग का संरक्षण न करना माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान के विरुद्ध होगा।

(cxiv) यद्यपि एमएनआरई द्वारा दिनांक 22.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, तथापि उसके तहत परिकल्पित परियोजनाएं अभी शुरू होनी हैं और उसके परिणामस्वरूप कोई मूर्त लाभ होंगे। चूंकि घरेलू उत्पादकों को कुसुम कार्यक्रम से अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक पूरे घरेलू बाजार को आपूर्ति भी करना चाहते हैं। रक्षोपाय लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग पूरे घरेलू बाजार को आपूर्ति कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं और बने रहने के लिए कुसुम कार्यक्रम पर पूर्णतः निर्भर नहीं होंगे।

(cxv) चूंकि भारत ने आईटीए-1 के तहत प्रतिबद्धताएं की हैं, अतः बढ़े हुए बीसीडी से रुका हुआ है। जैसे ही प्रभावी दर जीरो होती है तो इस तथ्य कि बीसीडी 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है, का कोई परिणाम नहीं है। एसजीडी और बीसीडी साथ-साथ लगाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(cxvi) एसजीडी केवल एक प्रशुल्क उपाय है और इसीलिए आयातों के माध्यम से मांग-आपूर्ति का घाटा पूरा करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के इन आयातों को रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बावजूद समाप्त नहीं किया गया है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि मांग-आपूर्ति अंतराल आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। रक्षोपाय शुल्क केवल कीमतें बढ़ाते हैं और केवल आयात को प्रतिबंधित नहीं करते जो कि मात्रात्मक उपायों के असमान हैं।

(cxvii) सार्वजनिक हित में प्रश्नगत उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं से तत्काल हित ही शामिल नहीं हैं। दीर्घावधिन सार्वजनिक हित केवल तभी पूरा होगा जब भारतीय विद्युत क्षेत्र अपने भीतर से अपने पूंजी उपस्करों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हों और आयातों पर निर्भर न हों।

(cxviii) रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई आयात प्रतिस्पर्धा के कारण ही गंभीर क्षति से बचाना और उसका उपचार करना है। क्या उपाय कानूनी विवाद के आशय तथा प्रयोजन पर विचार करके निर्धारित किए जाने वाले सार्वजनिक हित में हैं जिसके तहत उपर्युक्त निवारण किया जा रहा है। यदि रक्षोपाय शुल्क उपर्युक्त उद्देश्य को हासिल करने में सक्षम है तो शुल्क लगाए जाने पर जनहित में होने के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

(cxix) इस तर्क के संबंध में कि पीईआरसी और बायफेसियल जैसे प्रौद्योगिकिय रूप से उन्नत सोलर सेल केवल एमएसपीवीएल द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जिसे अलग कर दिया गया है, मैसर्स एमएसपीवीएल घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने योग्य है। उसके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के भेद घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकिय क्षमताओं का बहुत ज्यादा परिणाम हैं। यदि केवल बिक्री यूनिटों पर विचार किया जाता है क्योंकि जेएसपीएल और जेआईएल, एमएसपीवीएल से पुरानी यूनिटें थीं जिसने 2017 में अपना उत्पादन आरंभ किया, अतः नई प्रौद्योगिकियों से उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए और अनुसंधान तथा विकास और कैपेक्स में निवेश करने के लिए लाभप्रद होने वाले उद्यम की आवश्यकता है। बढ़ी हुई आयात प्रतिस्पर्धा को देखते हुए जेआईएल और जेएसपीएल की लाभप्रदता गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी, जिसने उन्हें इस संबंध में कदम उठाने से रोका। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने और वित्तीय स्थिति में सुधार के बावजूद घरेलू उद्योग को अभी पुनः लाभप्रद होना है और इसीलिए वह अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने तथा नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना को महसूस करने के निमित्त ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसका अधिकतर भाग कार्यान्वित किया जा रहा है। घरेलू उद्योग के रक्षोपाय शुल्क की सहायता से पुनः लाभप्रद हो जाने पर वह इस दिशा में आगे निवेश करने में सक्षम होगा। अतः रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की निरंतर कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की क्षमता पर उसके उत्पादन को उचित कीमत पर बेचने के संबंध में आसन्न दबाव डाल रहे हैं।

(cxx) मिथाइल एसोसिएट पर विश्वास गलत रखा गया है क्योंकि रक्षोपाय शुल्क उपर्युक्त मामले में जनहित में नहीं पाया गया था क्योंकि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को छोड़कर अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग किया थी और आयात प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप बाजार हिस्से की हानि का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, इसे जनहित में नहीं पाया गया था क्योंकि निचले स्तर के उद्योग पर प्रभाव के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, कीमत कटौती भी नकारात्मक थी जिससे आयातित सामान घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद से अधिक महंगे हो जाएंगे और अनुचित बाजार स्थिति बनेगी। अंतिम रूप से कोई गंभीर क्षति तथा खतरा अथवा यहां तक कि उसका खतरा घरेलू उद्योग को नहीं पाया गया था। वर्तमान मामले में, मूल जांच के अनुसरण में गंभीर क्षति पहले ही निर्धारित कर दी गई थी। तथापि, सीसीसीएमई यह मानने में विफल रहे हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने साक्ष्य दिया है कि केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रभावित विद्युत विकासकर्ताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए कदम उठाए हैं जो उन्होंने दिनांक 02.04.2018 की अधिसूचना फा. सं. 283/3/2018-ग्रिड

सोलर द्वारा पास-थ्रू सुविधा अधिसूचित करके किया है जिसमें करारों के "कानून में परिवर्तन" खंड संबंधी स्पष्टीकरण दिया गया है। उसके बाद, विद्युत मंत्रालय ने भी आयातित सोलर सेलों और मॉड्यूलों पर दिए गए रक्षोपाय शुल्क के पास-थ्रू की अनुमति देने के लिए 27.08.2018 को सीईआरसी को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसरण में, कुछ सौर विद्युत विकासकर्ताओं को भी आयातित विचाराधीन उत्पाद पर उनके द्वारा वहन किए गए अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क के पास-थ्रू की अनुमति दी गई है तथा उसका साक्ष्य याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोध में प्रदर्श 389 के रूप में संलग्न था। अतः, केंद्र सरकार ने सौर विद्युत विकासकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

(cxxi) अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव के संबंध में, घरेलू उद्योग ने मूल जांच के दौरान अपने अनुरोधों में विद्युत की कीमतों पर 95 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव बताया था और इस पर महानिदेशक द्वारा ध्यान दिया गया था जिन्होंने निर्धारित किया कि वास्तविक प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए तथा विरोधी पक्षकारों द्वारा सुझाए गए प्रभावों के बीच में सही होगा। उसके बाद, महानिदेशक ने 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी जिसे अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव पर विचार करने के बाद जनहित में पाया गया था। वर्तमान मामले में प्रार्थित रक्षोपाय शुल्क मूल जांच से काफी कम है।

(cxxii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद लागू बीआईएस मानदंडों का पालन करता है। सोलर फोटोवोल्टेक, सिस्टम, डिवाइसेस और कम्पोनेंट्स गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2017 उन फोटोवोल्टेक सेलों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण पर रोक लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। यदि आवेदकों द्वारा लागू बीआईएस मानदंडों के अनुरूप न होने वाला एक उत्पाद बेचा गया तो वह विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, भंडारण अथवा बिक्री नहीं कर पाते।

(cxxiii) मैसर्स एसपीडीए और मैसर्स कनाडियन सोलर थाइलैंड ने भारत में सीधे ही प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन करने वाले कई घरेलू उत्पादकों की बंदी के तथ्य का उल्लेख किया है। अतः, व्यापार उपचार उपायों का अनुचित लाभ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता और उनके जारी रहने का एक स्पष्ट मामला बन जाता है।

(cxxiv) रक्षोपाय शुल्कों, जो अंतरिम उपाय है, में घरेलू उद्योगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने पर उनके उद्योग में उनकी स्थिति बनाए रखने के लिए प्रावधान है।

(cxxv) मूल जांच के अनुसरण में दिए गए रक्षोपाय शुल्क का स्तर समायोजन योजना पूरी तरह से कार्यान्वित करने का वांछित उद्देश्य हासिल करने हेतु घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं करता। चूंकि रक्षोपाय शुल्क पहले ही बहुत कम है, अतः प्रार्थित उदारीकरण का स्तर बहुत कम है ताकि घरेलू उद्योग वर्तमान समीक्षा में योजना बनाई गई संशोधित लागत बचतें हासिल कर सके।

(cxxvi) यूक्रेन – कुछ पैसेंजर कारों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर यह तर्क देने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, शुल्क का उदारीकरण नियमित अंतरालों पर शुल्क में काफी कमी लाने के आशय से है क्योंकि अपीलीय निकाय ने केवल यह माना है कि शुल्क का धीरे-धीरे उदारीकरण में विलंब नहीं किया जा सकता और किसी बाद की तारीख को नहीं रखा जा सकता तथा उसे नियमित अंतरालों पर उदारीकृत किया जाना है। यह कहीं भी नहीं पाया गया है कि उदारीकरण की मात्रा काफी होनी चाहिए, न ही नियमित अंतरालों पर उदारीकरण की न्यूनतम सीमा अपेक्षित है।

(cxxvii) शुल्क लगाए जाने की अवधि तथा कटौती की मात्रा घरेलू उद्योग के सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सीमा पर निर्भर करती है।

(cxxviii) मैसर्स एमएसपीवीएल को हटाना रक्षोपाय शुल्क का 25 प्रतिशत में संशोधन करके कम करने का कारण नहीं था, मूल जांच के दौरान क्षति मार्जिन सिफारिश किए गए रक्षोपाय शुल्क की राशि से अधिक था और मूल जांच के रिकार्ड से इसका सत्यापन किया जा सकता है।

(ग) <u>महानिदेशालय (रक्षोपाय) की जांच एवं जांच परिणाम</u>

31. (क) घरेलू उद्योग द्वारा इस याचिका में दी गई सूचना, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया विभिन्न अनुरोध और अन्य प्राथमिक एवं गौण उपलब्ध रिकॉर्डों तथा

(ख) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और साक्ष्य का उस सीमा तक सत्यापन जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया, के आधार पर, मैंने उसकी जांच की है और अपना अंतिम जांच परिणाम नीचे दिए गए अनुसार रिकॉर्ड किया है :

(i) **<u>लागू कानूनी प्रावधान</u>**

32. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 ख (4) के प्रथम परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार का यह मत हो कि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार की क्षति अथवा उसके खतरे के लिए समायोजित करने हेतु कदम उठाए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क को लगाया जाना जारी रहना चाहिए, यह ऐसे अधिरोपण की अवधि का विस्तार कर सकता है । दूसरे परंतुक में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थिति में रक्षोपाय शुल्क को उस तिथि से जिस तिथि को इस प्रकार का शुल्क सबसे पहले लगाया गया था, 10 वर्षों की अवधि से आगे लगाया जाना जारी रखना चाहिए ।

33. इस नियमावली का नियम 18 में निम्नानुसार उल्लेख है :-

(I) महानिदेशक समय समय पर रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वे संतुष्ट हों, तब उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इसे इस प्रकार से जारी रखेंगे कि :

(i) रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने अथवा इसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और यदि ऐसा कोई साक्ष्य हो कि यह उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजित कर रहा है, तब यह केन्द्र सरकार को शुलक को लगातार लगाए रखने के लिए सिफारिश करेगा ;

(ii) इस प्रकार के शुल्क को लगातार लगाए रखने, केन्द्र सरकार को इसे वापस लिए जाने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है ।

बशर्ते कि यहां रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने की अवधि तीन वर्ष से अधिक होती हो, वहां महानिदेशक इस प्रकार के अधिरोपण की मध्य अवधि के बाद इस स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि उपयुक्त हो तो शुलक के उदारीकरण में वृद्धि के लिए अथवा इस प्रकार के रक्षोपाय शुल्क को वापस लिए जाने के लिए सिफारिश करेंगे ।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई किसी समीक्षा को इस प्रकार की समीक्षा की शुरूआत की तिथि से अधिकतम 8 महीने तक अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जिसे केन्द्र सरकार अनुमति दे, के भीतर समाप्त किया जाएगा ।

(3) नियम 5, 6, 7 और 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

34. इस नियमावली के नियम 4(5) में महानिदेशक रक्षोपाय को यह कार्य सौंपा गया है कि वे रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करें । उपर्युक्त प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शाता है कि समीक्षा में, महानिदेशक (रक्षोपाय) से यह अपेक्षित है कि वे साक्ष्य की जांच करें और उसका निर्धारण करें कि:

(क) यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क को गंभीर क्षति से रोकने अथवा इसका उपचार करने के लिए लगाया जाना जारी रखना चाहिए ।

(ख) यह कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है अर्थात क्या घरेलू उद्योग ने इस प्रकार की क्षति अथवा इसके खतरे के लिए समायोजन करने हेतु कदम उठाए हैं ।

35. यह जांच उक्त नियमावली के अनुसार की गई है और अंतिम जांच परिणामों को इस अधिससूचना के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है ।

(ii) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

36. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था :

"सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क शीर्ष 8541 और प्रशुल्क मद 85414011 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य "सोलर सैल जिसका मॉड्यूल अथव पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं" । सोलर सैल को बाजार की भाषा में फोटोवोल्टेयिक सैल के रूप में भी जाना जाता है । फोटोवोल्टेयिक प्रौद्योगिकी आणविक स्तर पर

शुल्क के प्रकाश को बिजली में सीधे परिवर्तन को सक्षम बनाता है और सोलर सैल ठोस अवस्था का विद्युतीय उपकरण है जो फोटो वोल्टेयिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करता है। व्यावहारिक उपयोग से सोलर सैल की पैकेजिंग की जाती है और इसे एक असेंबली से जोड़ा जाता है और सोलर सैल की इस प्रकार की असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। विद्युतीय संयोजन सोलर सैल में क्रम में किया जाता है ताकि अपेक्षित वर्तमान क्षमता उपलब्ध कराने के लिए इच्छित उत्पादन वाटेज और/ अथवा समांतर में प्राप्त किया जा सके।"

37. जैसा कि पूर्व में नोट किया गया है, सीमा प्रशुल्क शीर्षक "8541 4011- चाहे उसे मॉड्यूल में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं" को 01.02. 2020 से उसकी अनुसूची III की प्रविष्ट सं. 2 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का सं. 12) की धारा 117 (ख) के माध्यम से निम्नलिखित दो शीर्षकों में विभाजित किया गया है :

8541 4011- सोलर सैल असेंबल नहीं किया हुआ

8541 4012- सोलर सैल मॉड्यूल में असेंबल किया हुआ अथवा पैनल में बनाया हुआ।

38. दिनांक 02 फरवरी, 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2020-सीमापशुल्क (रक्षोपाय) के माध्यम से इसमें ऊपर में उल्लिखित दो नए प्रशुल्क शीर्षकों को दिनांक 30 जुलाई, 2018 की पूर्व की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 1/2018-सीमाशुल्क (रक्षोपाय) में एक प्रशुल्क शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

39. इस प्रकार, मौजूदा रक्षोपाय शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के अध्याय 85 के प्रशुल्क शीर्षक 85414011 और/अथवा 85414012 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य "सोलर सैल" चाहे उसके मॉड्यूल अथवा पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं" पर लागू होता है। हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षपेत्र पर बाध्यकारी नहीं होता है।

40. इस समीक्षा का विरोध करने वाले विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सोलर सैल और सोलर मॉड्यूल को एक नहीं माना जा सकता है और यह कि घरेलू उद्योग के पास प्रौद्योगिकी, बायफेसियल एन टाइप सोलर सैलों, 5 और 6 बस बार उच्च क्षमता वाले सोलर सैल और मोनोक्रिस्टिलाइन प्रौद्योगिकी के आधार पर थिन फिल्म प्रौद्योगिकी और "पी ई आर सी" (फैसीवेटेड एनीटर रियर फिल्म) नहीं है और इस कारण से विचाराधीन उतपाद को केवल ऐसे उत्पादों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसके लिए घरेलू उद्योग के पास उत्पादन की क्षमता है अथवा इसने वास्तव में उत्पादन किया है।

41. इसके अलावा, आर ई सी सोलर पी पी ई लि. ने यह दावा किया है कि उनके अल्फा उत्पाद को यूरोप सहित सिंगापुर और अन्य प्रक्षेत्रों द्वारा डिजायन पेंटेंट दिया गया है और यह कि इसके डिजायन का उपयोग भी भारत में लंबित है। आर ई सी सोलर का यह दावा है कि उनका अल्फा उत्पाद (i) प्रोपाइटरी एडवांस टैक्नोलॉजी का उपयोग करता है, उत्कृष्ट क्वालिटी, स्थान कार्यक्षम और अधिक पर्यावरण अनुकूल है (ii) भारतीय बाजार में यह अपेक्षाकृत अधिक कीमत प्राप्त करता है और (iii) यह भारत में निर्मित वस्तुओं से सभी अर्थों में न तो सदृश और न ही समान है। वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अपने अल्फा उत्पाद को बाहर रखने की मांग करते हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए कुछ डिजायन पेटेंट है और उन्होंने इस उद्देश्य से दिनांक 24 नवंबर, 2009 का चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेयी), थाइलैंड और यू एस ए से स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्टस के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की जांच में की गई टिप्पणियों पर विश्वास किया है।

42. इस पहलू की ध्यानपूर्वक जांच करने पर मैं नोट करता हूं कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकारों के सोलर सैल कार्यक्षमता, भौतिक विशेषताओं जैसे आकार और वजन आदि तथा कीमत के मामले में अलग-अलग हैं। यद्यपि इस अंतर के कारण कीमत और कार्य क्षमता, विचाराधीन उतपाद का अंतिम उपयोग के मामले में व्यापार केवल बिजली का उत्पादन करने के लिए है। वहां तक चीन जन गण, जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान (चीनी ताइपेयी), थाइलैंड और यू एस ए से स्टैनलैस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणामों पर निर्भरता का प्रश्न है, मैंने नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों जिसका घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं कर रहा था, को बाहर रखा गया था क्योंकि ये ग्रेड विशिष्ट अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित थे जिसे घरेलू उद्योग द्वारा

उत्पादित समान वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका । वर्तमान मामले में, यह अनुरोध करते हुए कि अल्फा उत्पाद उत्कृष्ट कोटि, स्थान कार्यक्षम का है, और यह प्रोपराइटरी एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और यह अपेक्षाकृत अधिक पर्यावरण अनुकूल है, यह हितबद्ध पक्षकारों के मामले में नहीं रहा है कि उनका उत्पाद घरेलू समान उत्पाद द्वारा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के योग्य नहीं है और उससे इसकी सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं है ।

43. चीन जन.गण. से लोहा, एलाय अथवा गैर-अलाय स्टील का सीमलैस ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 9 दिसंबर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह माना था कि पेटेंड की गई वस्तुओं और अन्य उप श्रेणी को तब तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है, जब तक वे घरेलू समान वस्तुओं से तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन के लायक न हो जाएं और इस प्रकार उन वस्तुओं को बाहर करने के फलस्वरूप प्रवंचना होगी ।

44. रक्षोपाय शुल्क नियमावली (सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997- दिनांक 29.07.1997 की अधिसूचना सं. 35/97-एन टी-सीमाशुल्क) (इसके पश्चात रक्षोपाय नियमावली के रूप में भी जाना जाता है) में किसी घरेलू उत्पादक को "भारत में समान वस्तु का एक उत्पादक अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु अथवा व्यापार अथवा व्यापार संघ, जिसके अधिकांश सदस्यगण भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के समान वस्तु का उत्पादन अथवा व्यापार करते हैं" और "समान वस्तु आ आशय उस वस्तु से है जो सभी अर्थों में जांच के अधीन वस्तु के अतिरिक्त अथवा समान हो" के रूप में परिभाषित "समान वस्तु" के रूप में घरेलू उत्पादक को मानते हैं" । विचाराधीन उत्पाद अथवा फोटोवोल्टयी प्रभाव के द्वारा सूरज के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करने के सामान्य एवं अतिव्याप्त अनुप्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि आयात किए गए और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वसतु प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं । प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण ही कीमत और कार्यक्षमता के मामले में व्यापार होता है । इस कारण से जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार विचाराधीन उतपाद के क्षेत्र से बाहर करना आवश्यक नहीं है । इसके अलावा, इन मुद्दों का समाधान भी मूल जांच परिणाम में किया गया था और इस कारण से मुझे विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों अथवा रूपों को बाहर रखने के संबंध में हितबद् पक्षकारों के तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है और मैं मूल जांच में था विचारित तथा उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बनाए रखता हूं और उसकी पुष्टि करता हूं ।

45. सीमा प्रशुल्क शीर्षकों में परिवर्तन पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभिाषित किया गया है:

"सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क शीर्ष 85414011 और प्रशुलक मद 85414012 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य "सोलर सैल जिसका मॉड्यूल अथव पैनलों में असेंबल किया गया हो अथवा नहीं" । सोलर सैल को बाजार की भाषा में फोटोवोल्टेयिक सैल के रूप में भी जाना जाता है । फोटोवोल्टेयिक प्रौद्योगिकी आणविक स्तर पर शुल्क के प्रकाश को बिजली में सीधे परिवर्तन को सक्षम बनाता है और सोलर सैल ठोस अवस्था का विद्युतीय उपकरण है जो फोटो वोल्टेयिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिणत करता है । व्यावहारिक उपयोग से सोलर सैल की पैकेजिंग की जाती है और इसे एक असेंबली से जोड़ा जाता है और सोलर सैल की इस प्रकार की असेंबली को सोलर पैनल अथवा सोलर मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है । विद्युतीय संयोजन सोलर सैल में क्रम में किया जाता है ताकि अपेक्षित वर्तमान क्षमता उपलब्ध कराने के लिए इच्छित उत्पादन वाटेज और/ अथवा समांतर में प्राप्त किया जा सके ।

हलांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।"

(क) घरेलू उद्योग (डी आई) का क्षेत्र एवं आधार

46. सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख की उपधारा (6) के उपबंध (ख) में घरेलू उद्योग (इसके पश्चात डीआई के रूप में भी संदर्भित) नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" का अभिप्रायउन उत्पादकों से है -

(i) जो भारत में संपूर्ण रूप में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्द्धी वस्तु का उत्पादन करते हों अथवा ; अथवा

(ii) जिनका समान वस्तु का सामूहिक उत्पादन अथवा भारत में प्रतयक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादन होता हो, वह भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादक का अधिकांश हिस्सा होता है ;

47. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में, दिनांक 16.07.2018 का अंतिम मूल जांच परिणाम और दिनांक 3.3.2020 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस को पहले ही स्पष्ट किय गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर है । इस समीक्षा में घरेलू उद्योग का क्षेत्र डीटीए में इकाइयों तक भी सीमित है ।

48. यह समीक्षा आवेदन (i) मै. मुद्रा सोलर पीवी लिमिटेड, अदानी हाउस (एस ई जैड); (ii) जुपीटर सोलर पावर लिमिटेड (डी टी ए), (iii) मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड (डी टी ए) की ओर से आई एस एम ए द्वारा दायर किया गया है । डी जी टी आर में इस मामले में घरेलू उद्योग को केवल दो डीटीए इकाइयों अ र्थात मै. जुपीटर सोलर पावर लिमिटेड और मै. जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड को दिनांक 16.07.2018 की मूल जांच परिणामों के अनुसार सीमित किया है । जेआईएल और जेएसपीएल के उत्पादन के संबंध में महानिदेशक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :

i. जेआईएल और जेएसपीएल डी टी ए इकाइयां हैं और वे एक ही समूह से संबंधित हैं । जेएसपीएल, जेआईएल की एक सहायक कंपनी है ।

ii. जेएसपीएल मूल जांच में आवेदक नहीं था । जेएसपीएल स्वयं के बल पर 2016-17 और 2017-18 के दौरान उत्पादन कर रहा था । जेएसपीएल को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान जॉब कार्य आधार पर जेआईएल द्वारा उत्पादन किए गए सोलर सैल भी प्राप्त हुए । मार्च, 2019 से जेएसपीएल ने अपने बल पर उत्पादन नहीं किया था बल्कि जेआईएल के लिए जॉब कार्य आधार पर ही उत्पादन किया था । जेआईएल स्वयं के बल पर उत्पादन कर रहा है और इसे जेएसपीएल के माध्यम से जॉब कार्य आधार पर उत्पादन भी करवा रहा है ।

iii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जेएसपीएल ने केवल वृद्धिगत जॉब कार्य किया है । हालांकि यह देखा गया है कि जे एस पी एल ने उत्पादन संबंधी सभी क्रियाकलापों को निष्पादित किया है, क्योंकि इसमें जेआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए वेफरों से सोलर सैल का उत्पादन किया है । यह भी पाया गया है कि जेआईएल ने स्वयं के बल पर सोलर सैल का उत्पादन किया है और उसके साथ ही जॉब कार्य के आधार पर जेएसपीएल द्वारा उसका उत्पादन भी करवाया है ।

दो डी टी ए इकाइयां विचाराधीन उत्पाद का भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत से अधिक) होता है । गणना के उद्देश्य से, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उत्पादन के हिस्से को ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार बाहर रखा गया है ।

(घ) जांच की अवधि

49. जांच की शुरुआत के समय, वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) को 1 अप्रैल, 2016-31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019 और 1 अप्रैल, 2019 – 30 सितंबर, 2019 के रूप में माना गया था । उक्त अवधि को बाजार परिस्थितियों और अन्य कारकों जो रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए संगत है, पर विचार करने के लिए बहुत अधिक लंबी मानी गई थी ।

(ङ) <u>सूचना का स्रोत</u>

50. जांच की शुरुआत के समय घरेलू उद्योग ने 2014-15 से 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) की अवधि के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), वाणिज्य विभाग, से विचाराधीन उत्पाद के लिए लेनदेनवार आात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए थे और जांच की शुरूआत के समय विश्लेषण के

लिए उस पर विचार किया गया था । घरेलू उद्योग ने बाद में फरवरी, 2020 तक के डी जी सी अई एंड एस के आयात संबंधी आंकडे उपलब्ध कराए हैं । जांच की अवधि के बाद के आयात संबंधी आंकड़ों पर भी विचार 1 अक्टूबर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक किया गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन डी जी सी आई एंड एस से पाप्त आंकड़ों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणिक वित्तीय अभिलेखों का संदर्भ लेकर डेस्क अध्ययन के आधार पर किया गया है ।

(च) गोपनीयता और प्रस्तुत की गई सूचना

51. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ सूचना उपलबध कराई हैं और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय के रूप में माना जाए । घरेलू उद्योग ने फा. सं. डी-22011/75/2009 के अंतर्गत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए दिनांक 21.12.2009 के व्यापार नोटिस के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत यथाअपेक्षित अपने आवेदन का अगोपनीय पाठ (एन सी वी) भी उपलब्ध कराया है । इसके अलावा, घरेलु उद्याग ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे का औचित्य बताते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं ।

52. उक्त नियमावली के नियम 7 के संबंध में, आवेदक सूचना, जो गोपनीय प्रवृति की है, को प्रकट नहीं करने का विकल्प ले सकते हैं और उसका अगोपनीय सार उपलब्ध करा सकते हैं । घरेलू उद्योग ने सूचना की गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण प्रस्तुत किए हैं और गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत किया है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि डी जी टी आर द्वारा जारी किए गए दिनांक 7 सितंबर, 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुबंध-1 में याचिका का गोपनीय और अगोपीय पाठ में सूचना के प्रकटन के लिए इन दिशानिर्देशों को घरेलू उद्योग द्वारा याचिका दायर करते समय पालन नहीं किया गया है ।

53. घरेलू उद्योग का इस प्रकार के दावे के लिए दिए गए कारणों के साथ गोपनीयता के संबंध में दावे पर विचार नियम 7 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है । आवेदक ने स्थापित कार्य पद्धति के अनुसार आवेदन का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है जिसे सभी हितबद्ध पक्षपकारों को उपलब्ध करा दिया गया था ।

छ. आयात की प्रकृति और मात्रा

54. कुछ हितबद्ध पक्षकारो ने यह दावा किया है कि रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 5 में यह अपेक्षित है कि जांच की किसी शुरूआत के लिए, महानिदेशक को आयातों में विधि अवश्य मिलनी चाहिए । विशेष रूप से उपबंध 5(3) में यह अपेक्षित है कि महानिदेशक अब तक उप नियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन के अनुसरण में किसी जांच की शुरूआत नहीं करेगा जब तक कि वह आवेदन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के समुचित और प्रतीक होने की जांच नहीं कर लेता है और अपने आप को संतोष नहीं कर लेता है कि बढ़े हुए आयातों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। चूकि आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अत: रक्षोपाय शुल्क लगाने को कोई आधार नहीं है ।

55. मैं यह देखता हूं कि बढ़े हुए आयातों का मानदंड समीक्षा में लागू नहीं होगा क्योंकि समीक्षा का उद्देश्य नियम 18 के अनुसार इस बात का आकलन करने के लिए है कि क्या रक्षोपाय शुल्क को लगातार लगाया जाना गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और इस तथ्य का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है ।

56. आयातों की मात्रा की जांच पहले से लागू रक्षोपाय शुलक के प्रभार को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है और यह कि यदि रक्षोपाय शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तक क्या आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा । इस संबंध में यह भी नोट किया जाना है कि रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध वस्तुओं की आयात संबंधी मात्रा शुल्क के स्तर तक वापस नहीं गई है लेकिन भारत में अब भी बढ़े हुए स्तरों पर हो रही है । 2017-18 में वास्तविक आयात 9790 मे.वा. थी जो 2018-19 में 8010 मे.वा. और 2019-20 में 8545 मे.वा. रही थी । (वास्तविक आंकडों को फरवरी, 2010 तक माना गया है)।

57. आयात 2016-17 में 6375 मे वा था और यह 2017-18 में बढ़कर 9790 मे वा हो गया । इन शुल्को को 30 जुलाई, 2018 से लागू किया गया था । शुल्कों के लगाए जाने के परिणामस्वरूप, आयात की मात्रा 2018-19 के दौरान घटकर 8010 मे.वा. हो गया है । लेकिन आयातों में यह गिरावट क्षणिक थी क्योंकि सबसे हाल की अवधि

अर्थात 2019-20 के लिए आयात संबंधी मात्रा (वार्षिकीकृत- वार्षिक आंकड़ा सितं., 2019 तक) 8754 मे.वा. था।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (वार्षिकीकृत)	अप्रैल 19 – सितं. 19
सैल्स	मे.वा.	785	1,280	2,024	2,588	1,294
मॉड्यूलस	मे.वा.	5,590	8,510	5,986	6,167	3,083
कुल आयात	मे.वा.	**6,375**	**9,790**	**8,010**	**8,754**	**4,377**
प्रवृति	मे.वा.	100	154	126	137	

58. यह नोट किया जाता है कि यदि क्षति की अवधि की अवधि के आधार वर्ष पर भी विचार किया जाता है तब आयात गिरकर 2379 मे.वा. हो गया है । अर्थात 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसके अलावा, 4377 मे.वा. का आयात वित्तीय वर्ष 2019 की प्रथम छमाही के दौरान किया गया और वह वित्तीय वर्ष 2017-18 की समान अवधि के दौरान आयात किए गए 4917 मे.वा. से कम था । जब्कि, वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली छमाही क दौरान कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं था, अत: वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान आयात 1 अप्रेल से 29 जुलाई, 2019 तक 25 प्रतिशत के रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन थी । इस कारण से आयात की मात्रा में 2018-19 में 1780 मे.वा. तक कमी आई । हालांकि 30 जुलाई, 2019 से 20 प्रतिशत तक रक्षोपाय शुल्क के उदारीकरण के साथ आयातों में फिर से ऊपर की ओर की प्रवृति को दर्शाया है और 2019-20 (वार्षिकीकृत) में 744 मे.वा. वार्षिकीकृत तक वृद्धि हुई है अर्थात इसमें 9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

59. यह भी नोट करना संगत है कि भारत में थाइलैंड और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि देखी गई है जो अब सबसे हाल की अवधि अर्थात 2019-20 (अप्रेल-सितंबर) में भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में क्रमश: लगभग 12.46 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत होता है जबकि ये कुल आयातों के अधिक होने के बावजूद 2017-18 में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के पूर्व केवल 0.26 प्रतिशत और 0.70 प्रतिशत था । इसके अलावा थाइलैंड और वियतनाम से आयातों की कीमतों में भी बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और वे चीन जन गण से आयातों की कीमतों की तुलना में बहुत कम है जो नीचे दर्शाए गए अनुसार रू./वाट में आयात कीमत की तुलना में वर्तमान में 15 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन भी है ।

		2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रैल – सितंबर)	2019-20 (वार्षिकीकृत)
चीन जन गण	रु./वाट	21.76	17.49	15.58	15.58
थाइलैंड	रु./वाट	18.53	9.33	10.58	10.58
वियतनाम सामाज्यिक गण.	रु./वाट	10.59	12.87	11.13	11.13

60. वास्तव में आईलैंड और वियतनाम से आयात की कीमतों के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होती रही है ।

(छ) अप्रत्याशित घटनाक्रम और दायित्वों का प्रभाव

61. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए समीक्षा का विरोध करने वाले कुछ हितबद्ध पक्षकारों पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि समीक्षा के मामले में भी, यदि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले बढ़े हुए आयातों का साक्ष्य हो, तब रक्षोपाय शुल्क जारी रखा जा सकता और आयातों में इस प्रकार की वृद्धि प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के अनुच्छेद XIX: 1 (क) में दिए गए अनुसार अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप हुआ होगा । इस संबंध में, इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अप्रतयाशित घटनाक्रमों अथवा दायित्वों के

प्रभाव के संबंध में कोई सूचना घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन करते समय दायर नहीं की गई है । इस संबंध में मैं यह देखता हूं कि अप्रत्याशित घटनाक्रम और दायित्वों का प्रभाव केवल मूल शुल्क के समय रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है क्योंकि यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि आवश्यक मानदंड नहीं है क्योंकि इस नियमावली में दो मुद्दे अर्थात क्या रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक है और इस तथ्य का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है कि जांच की जानी अपेक्षित है । इस कारण से न तो आयातों में वृद्धि रक्षेपाय शुल्क के लिए रखे जाने हेतु एक आवश्यक पूर्ण शर्त है और न ही आयातों में इस प्रकार की वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों द्वारा अथवा दायित्वों के प्रभाव के कारण हुआ है जो केवल मूल शुल्क को लगाए जाने का औचित्य ठहराने के लिए आवश्यकता है।

62. यह दोहराया गया है कि मूल अंतिम जांच परिणामों में किए गए निर्धारण में यह देखा गया था कि जांच में संगत क्षति की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और भारत द्वारा गैट के अंतर्गत पूरे किए गए दायित्वों के प्रभावों का एक परिणाम था । मैं यह नहीं मानता हूं कि यह अपेक्षित है कि वर्तमान समीक्षा में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाए ।

ज. गंभीर क्षति और / अथवा गंभीर क्षति का खतरा

63. निर्धारण के लिए अगला मामला यह है कि क्या रक्षोपाय शुल्क का विस्तार आवश्यक है और क्या विचाराधीन उत्पाद से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को समान और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों से गंभीर क्षति होना अथवा गंभीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने के लिए जारी रहा है जिसके फलस्वरूप शुलकों को जारी नहीं रखने का परिणाम हो सकता है । विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पाद के क्षति की जांच में विभिन्न मानदंडों जैसे घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, आयातों की तुलना में बाजार हिस्सा जिसका नीचे अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है, की जांच शामिल है ।

(i) **घरेलू बाजार का हिस्सा:** यह देखा जा सकता है कि जबकि मांग 2016-17 से 2019-20 (वार्षिकीकृत) तक 34 प्रतिशत तक बढ़ी, आयातों का अपना प्रमुख बाजार हिस्सा बना रहा । घरेलू उद्योग ने यह देखते हुए कि यह सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, आंशिक रूप से 1.1 प्रतिशत तक उसकी अवधि में बाजार हिस्से को भी प्राप्त किया ।

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (वार्षिकीकृत)	अप्रैल19 - सितं. 19
आयात	% (सूचीबद्ध)	100	101	105	102	102
घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बिक्री	% (सूचीबद्ध)	100	88	60	124	124
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा द्वारा घरेलू बिक्री	% (सूचीबद्ध)	100	84	36	49	49
मांग/खपत	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	152	120	134	67

(ii) उत्पादन और बिक्री : घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री तथा विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों को दर्शाने वाली निम्न तालिका से यह नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में रक्षोपाय शुल्कों के संरक्षण के परिणामस्वरूप और इसके समायोजन योजना के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है, हालांकि घरेलू उत्पादकों की समग्र स्थिति अस्थिर बनी हुई है क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र को छोडकर अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में गिरावट आई है ।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
कुल आयात	मे.वा.	6,375	9,790	8,010	8,754	4,377
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	129	64	170	85
घरेलू उद्योग की बिक्री	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	134	72	166	83
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मे.वा. (सूचीबद्ध)	100	128	43	66	33

(iii) **क्षमता का उपयोग :** घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग में 2016-17 में 44 प्रतिशत से 2019-20 (वार्षिकीकृत) में 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण पिछले दो वर्षों में लागू रहा है और भारत में विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मांग रही है, घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता का आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण कम उपयोग होना जारी है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
संस्थापित क्षमता	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	100	100	100	50
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	129	64	170	85
क्षमता उपयोग	%	44%	57%	28%	75%	75%

(iv) **रोजगार और उत्पादकता :** घरेलू उद्योग द्वारा त्वरित सृजित रोजगार में क्षति के विश्लेषण की अवधि के दौरान गिरावट आई है

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
कर्मचारियों की सं.	सं. (सूचीबद्ध)	100	96	69	69	69
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	135	94	249	125

(v). हालांकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में काफी हद तक सुधार आयात है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी समायोजन योजना के अनुसार अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाया है।

(vi) **लाभ/हानि :** यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2018-19 में नकारात्मक हो गई। हालांकि बढ़े हुए उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ बिक्री की लागत में कमी के कारण घरेलू उद्योग 2018-19 में अपने घाटे को कम करने में सक्षम हो पाया है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता

नकारात्मक रह जाती है और इसकी स्थिति अस्थिर है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
लाभ/हानि	रू./वाट (सूचीबद्ध	100	22	(204)	(18)	(18)
घरेलू बिक्री कीमत	रू./वाट (सूचीबद्ध	100	78	40	37	37
बिक्री की लागत	रू./वाट (सूचीबद्ध	100	90	95	49	49

(vii) मालसूची : यद्यपि मालसूची के स्तरों में 2018-19 में सुधार हुआ फिर भी वह नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार सबसे अधिक हाल की अवधि अर्थात 2019-20 (वार्षिकीकृत) में तेजी से वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (A)	अप्रैल 19 – सितं. 19
मालसूची	मे .वा. (सूचीबद्ध)	100	120	11	272	141

(viii.) कीमत में कटौती : यह देखा जा सकता है कि रक्षोपाय शुल्क को शामिल किए बिना, आयातों की कामतों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती होना जारी है और इसे गंभीर क्षति हो रहा है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल 19 – सितं. 19
आयातों का पहुंच मूल्य					
सोलर सैल	रू./वाट	15.42	13.68	8.95	8.76
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट	29.20	22.56	19.10	16.80
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति					
सोलर सैल	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	78	39	37
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट (सूचीबद्ध)		100	61	57
कीमत कटौती					
सोलर सैल	रू./वाट (सूचीबद्ध)	100	59	6	4
सोलर मॉड्यूल	रू./वाट (सूचीबद्ध)		100	4	15
कीमत कटौती (%)					
सोलर सैल	% रेंज	55-65	35-45	5-15	0-10
सोलर मॉड्यूल	% रेंज		35-45	0-10	5-15